न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 47/2022

अनवान

1. श्रीमती मीरा पत्नि श्री कन्हैया लाल धोबी निवासी जवासिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
—प्रार्थी

बनाम

1. हीरा लाल पुत्र श्री देवा दरोगा निवासी जवासिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. बालू पुत्र श्री चुना जाट निवासी खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. लाल पुत्र श्री चुना जाट निवासी जवासिया खेडा तह0 हमीरगढ।
4. किशन पुत्र श्री चुना जाट निवासी जवासिया खेडा तह0 हमीरगढ।
5. श्रीमती रामू पत्नी श्री रामलाल सालवी निवासी जवासिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 10.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम जवासिया पटवार हल्का दुडिया भू.अ.नि. बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 195 की कृषि भूमि की आ0न0 1020/3 रकबा 0.1391है0, आराजी नम्बर 1022/3 रकबा 0.2023है0 कुल किता 02 रकबा 0.3414है0, खाता संख्या 197 में आराजी संख्या 1020/2 रकबा 0.1391 है0, आराजी नम्बर 1022/2 रकबा 0.2023है0 कुल किता 02 रकबा 0.3414 है0, एवं खाता संख्या 196 में आराजी संख्या 1020/1 रकबा 0.0632है0, आराजी संख्या 1021 रकबा 0.0759 है0 आराजी संख्या 1022/1 रकबा 0.1897है0 आराजी संख्या 1023 रकबा 0.2276है0 आराजी नम्बर 1024 रकबा 0.5311 है0 कुल किता 05 रकबा 1.0875 है0** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम जवासिया पटवार हल्का दुडिया भू.अ.नि. बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 195 की कृषि भूमि की आ0न0 1020/3 रकबा 0.1391है0, आराजी नम्बर 1022/3 रकबा 0.2023है0 कुल किता 02 रकबा 0.3414है0, खाता संख्या 197 में आराजी संख्या 1020/2 रकबा 0.1391 है0, आराजी नम्बर 1022/2 रकबा 0.2023है0 कुल किता 02 रकबा 0.3414 है0, एवं खाता संख्या 196 में आराजी संख्या 1020/1 रकबा 0.0632है0, आराजी संख्या 1021 रकबा 0.0759 है0 आराजी संख्या 1022/1 रकबा 0.1897है0 आराजी संख्या 1023 रकबा 0.2276है0 आराजी नम्बर 1024 रकबा 0.5311 है0 कुल किता 05 रकबा 1.0875 है0**

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:01:49 IST
Reason: SelfAttested